कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–प्रारं/नियु.प्रको./नियु–2/982/अ.भ. 2021–22/ले–I/पात्रता/दस्ता.सत्या./2022/ दिनांकः 03.03.2022

–:: दिशा–निर्देश ::–

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के उप नियम–277 (क) (vi) के तहत राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021–22 गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र, अध्यापक, लेवल–प्रथम (सामान्य शिक्षा/विशेष शिक्षा) के लिए प्रारम्भिक पात्रता जांच हेतु सूचीबद्ध किये गये अभ्यर्थियों के लिए निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

1. राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021–22 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र, अध्यापक, लेवल–प्रथम (सामान्य शिक्षा/विशेष शिक्षा) के पदों पर अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरी गई सूचनाओं तथा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET)–2021 के प्राप्तांकों के आधार पर पात्रता जांच हेतु पदवार दो गुणा सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है। इस सूची में नाम आ जाने मात्र से कोई अभ्यर्थी चयन/नियुक्ति का अधिकारी नहीं होगा। पंचायती राज नियम–1996, विज्ञप्ति संख्या–01 व 02 दिनांकः 31.12.2021 तथा विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार पात्र पाये जाने पर अभ्यर्थी के नाम पर अन्तिम चयन हेतु विचार किया जायेगा।
2. अभ्यर्थियों की पात्रता जांच सम्बन्धी कार्य शालादर्पण पोर्टल के https://rajshaladarpan.nic.in/newposting/ मॉड्यूल के माध्यम से किया जायेगा।
3. प्रत्येक अभ्यर्थी को शालादर्पण मॉड्यूल https://rajshaladarpan.nic.in/newposting/ पर प्रत्येक आवेदित पद के लिए पृथक–पृथक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के संबंध में FAQ, यूजर मेनूएल, लिखित व विडियो के रूप में उपलब्ध हैं।
4. अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये मोबाईल नम्बर तथा ई–मेल पते पर SMS व ई–मेल के माध्यम से आवश्यक सूचनाऐं प्रेषित की जायेंगी, अतः अभ्यर्थी के मोबाईल नम्बर व ई–मेल बन्द होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा। समस्त अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन में भरे गये मोबाईल व ई–मेल को निरन्तर चैक करें एवं SMS व ई–मेल द्वारा प्रेषित निर्देशों की पालना करें।
5. पंजीकरण के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा अपने दस्तावेज स्कैन (**PDF File प्रत्येक दस्तावेज के लिए अधिकतम 200 KB**) करके शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। दस्तावेज सत्यापन हेतु शॉर्ट लिस्टेड किये गये अभ्यर्थी दिनांकः 05.03.2022 से दिनांकः 10.03.2022 तक उक्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाते हुए अनिवार्य रूप से वांछित दस्तावेज अपलोड करें तथा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धित द्वारा अभ्यर्थी को आवंटित स्लॉट के समय दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने से पूर्व अपने दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने अनिवार्य होंगे। आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं किये जाने अथवा अपूर्ण दस्तावेज अपलोड होने की स्थिति में दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही नहीं हो सकेगी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दस्तावेज सत्यापन/पात्रता जांच हेतु https://rajshaladarpan.nic.in/newposting/ पोर्टल पर स्थान एवं तिथि का निर्धारण किया जायेगा जो सम्बन्धित अभ्यर्थी की लॉगिन में प्रदर्शित होगा।शॉर्टलिस्टेड किये गये सभी अभ्यर्थी शाला दर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन लॉगिन आई.डी. से लॉगिन कर दस्तावेज सत्यापन के स्थान एवं तिथि के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करते रहे।
7. सूचीबद्ध किये गये अभ्यर्थियों को, विचारित सूची में अभ्यर्थी के नाम के आगे अन्तिम कॉलम में अंकित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मु0), प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय द्वारा निर्धारित दिनांक को समस्त मूल दस्तावेजों व संलग्न चैकलिस्ट को भरकर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। मूल दस्तावेजों के अभाव में किसी अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।
8. अभ्यर्थी को संलग्न चैकलिस्ट में उल्लेखित दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियां क्रमानुसार व्यवस्थित कर चैकलिस्ट सहित दस्तावेज सत्यापन दल को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को चैकलिस्ट व समस्त प्रकार की स्वघोषणाएं मूल ही प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।
9. यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन किया गया हो तो, प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक स्वप्रमाणित सैट तैयार कर सत्यापन दल का देना होगा।
10. यदि किसी अभ्यर्थी का एक से अधिक पद की सूची में नाम है तो वह प्रत्येक पद हेतु दस्तावेजों की प्रारम्भिक जांच करायेगा, यदि वह एक पद हेतु पात्रता जांच कराता है व अन्य पद/पदों हेतु पात्रता की जांच नहीं कराता है तो उसका अन्य पद/पदों हेतु जिनके दस्तावेजों की जॉच नहीं करवाई गई है, अन्तिम चयन के समय उसके नाम पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. निर्धारित दिनांक को दस्तावेजों की प्रारम्भिक जांच में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी को बाद में इस हेतु कोई अवसर नहीं दिया जायेगा। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
12. कोई अभ्यर्थी अपूर्ण/अधूरे दस्तावेजों सहित निर्धारित दिनांक को उपस्थित होता है तो उसे दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा। दस्तावेज में रही अपूर्णता/कमी को पूरी कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा निर्धारित की गई तिथि में ही उसको दस्तावेजों की प्रारम्भिक जांच करवानी होगी, अन्यथा उसे बाद में इस हेतु कोई अवसर नहीं दिया जायेगा।
13. अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का किराया भत्ता आदि देय नहीं होगा।
14. किसी प्रकार की सूचना/मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो, दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित अवधि के कार्य दिवसों में प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा स्थापित कन्ट्रोल रूम के दूरभाष पर सम्पर्क कर सकते हैं। कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर विभागीय वेबसाईट एवं शालादर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है।

(काना राम)
IAS
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज (प्राशि)
राजस्थान, बीकानेर